न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 100 / 2020 दायरा दिनांक : 18.11.2020

उनवान

1– मूर्ति बाई पत्नी श्री नन्दकिशोर

2– अनिता पुत्री नन्दकिशोर

3– पार्वती पुत्री नन्दकिशोर

जातियान भील, निवासीगण ग्राम धाकड़खेड़ी, तहसील अन्ता, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– प्रवीण नाबालिग पुत्र नन्दकिशोर, जाति भील, जर्ये संरक्षक नाना गोरधन आत्मज माधोलाल, जाति भील, निवासी ग्राम नियाना, तहसील अन्ता, जिला बारां

2– सनमा पुत्री गोरधन पत्नी सत्तू उर्फ सत्यनारायण, जाति भील, निवासी गुलाबपुरा, तहसील अन्ता, जिला बारां

3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अन्ता, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 148 / 2022 दायरा दिनांक : 30.08.2022

उनवान

1– मूर्ति बाई पत्नी श्री नन्दकिशोर

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

2– अनिता पुत्री नन्दकिशोर

3– पार्वती पुत्री नन्दकिशोर

जातियान भील, निवासीगण ग्राम धाकड़खेड़ी, तहसील अन्ता, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– प्रवीण नाबालिग पुत्र नन्दकिशोर, जाति भील, जर्ये संरक्षक नाना गोरधन आत्मज माधोलाल, जाति भील, निवासी ग्राम नियाना, तहसील अन्ता, जिला बारां

2– मनभर पुत्री गोरधन पत्नी सत्तू उर्फ सत्यनारायण, जाति भील, निवासी गुलाबपुरा, तहसील अन्ता, जिला बारां

3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अन्ता, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री उत्पल शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

रेस्पोडेंटगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2018 उपखण्ड अधिकारी अन्ता जिससे वाद संख्या 46/2018 वास्ते अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 आर.टी.ए. पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामे अनुसार दावा डिक्री किया गया।

निर्णय

दिनांक : 24.07.2023

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

1— ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

2— अधीनस्थ न्यायालय के वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम धाकड़खेड़ी, तहसील अन्ता, जिला बारां में खाता संख्या नया 73 की खसरा नम्बर 102 रकबा 0.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 176/611 रकबा 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 334 रकबा 1.86 हेक्टर कुल 3 किता की 2.33 हेक्टर भूमि स्थित है, जो वादी की पैतृक सम्पत्ति है।

3— उक्त विवादित आराजियात वादी के पिता नन्दकिशोर आत्मज छीतरलाल, जाति भील, निवासी धाकडखेड़ी, तहसील अन्ता, जिला बारां के खाते ना. बा. वली मुस्समात ज्याना दादी खुद खाते दर्ज है। उक्त आराजियात पुश्तैनी है। उक्त भूमि मृतक नन्दकिशोर के पिता से विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त भूमि में वादी का हक अधिकार जन्मतः निहित है। वादी अनुसूचित जाति का कृषक है।

4— खातेदार मृतक नन्दकिशोर का स्वर्गवास बालिग होने के पश्चात् 30 वर्ष आयु में दिनांक 19.02.2005 को हो चुका है। वादी के पिता नन्दकिशोर बालिग हो चुके थे जिसकी वली ज्याना दादी खुद थी जिसका स्वर्गवास कई वर्षों पूर्व हो चुका है।

5— वादी अपने पिताजी मृतक नन्दकिशोर की मृत्यु के पश्चात् से अपने नाना संरक्षक वली गोरधन के मार्फत काश्तकारी कार्य करता चला आ रहा है। उक्त भूमि पर वादी जर्ये संरक्षक निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त करता चला आ रहा है। वादी मृतक खातेदार नन्दकिशारे का एक मात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी होने से उक्त विवादित आराजी को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में खाते में दर्ज करवाना चाहता है। वादी को उक्त विवादित आराजी का बतौर

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। नाबालिग का वली नाना गोरधन का वादी के हितों के विपरीत वाद नहीं है।

6— वादी नन्दकिशोर का एक मात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी है जिसको तहसीलदार अन्ता के द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र मय नोटेरी तस्दीक गोरधन से प्रमाणित है।

7— विवादित आराजी वर्तमान में नन्दकिशोर पुत्र छीतरलाल जाति भील के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी में दर्ज होने से वादी को उक्त विवादित आराजी के विकास कार्य एवं किसान क्रेडिट कार्ड व सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में काफी परेशानी हो रही है। इसलिए वादी उक्त विवादित आराजियात को अपने नाम राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है।

8— वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि वादी की उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 किसी प्रकार की दखलांदाजी नहीं करें। प्रतिवादीगण वादी को किसी भी प्रकार से बेदखल नहीं करें। वादी को शांतिपूर्वक रहने देवे, वादी की काश्त व्यवस्था में प्रतिवादी क्रम 1 किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें, इस प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण जारी फरमायी जावे।

9— श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी पी सी का नोटिस प्रेषित कर दिया है, परन्तु नोटिस की समयावधि पूर्ण नहीं हुई है क्योंकि वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण नोटिस की समयावधि से पूर्व यह वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 80(2) सी पी सी के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया जा रहा है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

10— अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की सादिर डिक्री एवं निर्णय पारित किया जावे कि ग्राम धाकडखेड़ी, तहसील अन्ता में विवादित आराजी कुल किता 3 कुल रकबा 2.33 हेक्टर भूमि का वादी एक मात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी होने से मृतक खातेदार नन्दकिशोर के स्थान पर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड से ना0 बा0 वली मु0 ज्याना दादी खुद हटवाया जावे तथा वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश तहसीलदार अन्ता फरमाया जावे एवं स्वर्गीय नन्दकिशोर का नाम हटाया जावे।

11— वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे।

12— अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प भोज्याखेडी में पेश हुयी। पक्षकारान उपस्थित। हमने प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया गया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जाता है। ग्राम धाकडखेड़ी, तहसील अन्ता में विवादित आराजी कुल किता 3 कुल रकबा 2.33 हेक्टर भूमि में से खातेदार नन्दकिशोर (ना0बा0) पुत्र छीतरलाल जाति भील, निवासी धाकडखेडी, वली दादी ज्यानाबाई का नाम हटाया जाकर वादी प्रवीण (ना0बा0) पुत्र स्वर्गीय नन्दकिशोर, जाति भील, निवासी धाकडखेडी हाल मुकाम नियाना, तहसील अन्ता जरिये नाबालिग वली नाना श्री गोरधन पुत्र माधोलाल जाति भील निवासी नियाना को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादिया कम 1 वैधानिक वारिस होने से प्रतिवादिया कम 1 मनभर द्वारा 500/— रूपये के स्टाम्प पर अपना हिस्सा वादी प्रवीण (ना0बा0) के पक्ष हकतर्क करने से उक्त भूमि में कोई हिस्सा नहीं रहेगा। तहसीलदार अन्ता को आदेशित किया जाता है कि आवश्यक हो तो नियमानुसार हकतर्क स्टाम्प ड्यूटी जमा करवायी जाकर निर्णय

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अनुसार पालना कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा।

13– ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के प्रकरण संख्या – 46/2018 निर्णय डिक्री दिनांक 22.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

14– दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट कम 1 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम धाकड़खेड़ी, तहसील अन्ता, जिला बारां में खाता संख्या नया 73 पुराना 74 की खसरा नम्बर 102 रकबा 0.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 176/611 रकबा 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 334 रकबा 1.86 हेक्टर कुल 3 किता की 2.33 हेक्टर भूमि स्थित है, जो वादी की पैतृक सम्पत्ति है तथा उस भूमि पर वादी के पिता नन्दकिशोर आत्मज छीतरलाल, जाति भील, निवासी धाकडखेड़ी, तहसील अन्ता, जिला बारां के खाते ना. बा. वली मुस्समात ज्याना दादी खुद खाते दर्ज है तथा उक्त भूमि पर प्रतिवादी कम 1 से दिनांक 30.05.2018 को अपने खातेदारी में दर्ज करवाने को कहने पर उनके मना करने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ ।

15– उक्त वाद दिनांक 04.06.2018 को प्रस्तुत किया, जिसे राजस्व लोक अदालत केम्प भोल्याखेड़ी में दिनांक 22.06.2018 को जर्ये राजीनामा मय हक तर्क के स्टाम्प से वादी रेस्पोडेंट कम 1 के पक्ष में डिक्री कर दिया, उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2018 की अप्रसन्नता से धारा 96 सी पी सी पेश की गई। दोनों अपीलों में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय संचिका में उपलब्ध सामान्य सिद्धांतों की अवमानना कर निर्णय पारित किया है इस कारण से निर्णय व डिक्री जैर अपील काबिले निरस्तनीय है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

16– रेस्पोडेंट कम 1 ने उक्त वाद सम्पूर्ण तथ्यों एवं सच्चाई को छिपाते हुए रेस्पोडेंट कम 2 के साथ दूरभि संधि के तहत प्रस्तुत किया है। चूंकि रेस्पोडेंट कम 1 व 2 तथा रेस्पोडेंट कम 1 का वली नाना गोरधन इस तथ्य को भली भांति जानते थे कि अपीलांट कम 1 मृतक नन्दकिशोर की ब्याहता पत्नी है तथा अपीलांट कम 2, 3 मृतक नन्दकिशोर की पुत्रियां हैं, बावजूद इसके मात्र अपनी स्वार्थ सिद्धी की पूर्ति करने हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया तथा इसे जर्ये राजीनामा डिक्री करवा लिया इस कारण से निर्णय व डिक्री जैर अपील काबिल निरस्तनीय है।

17– अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की तथा ना ही कब्जे के तथ्यों को देखा, बावजूद इसके रेस्पोडेंट द्वारा न्यायालय को अंधेरे में रखकर रेस्पोडेंट द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित करवा ली, इस कारण से निणय व डिक्री अंतिम काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री इस कारण से भी निरस्तनीय है कि अपीलांट मृतक नन्दकिशोर की ब्याहता पत्नी है तथा अनुसूचित जाति के होने के कारण उन पर ओल्ड हिन्दू लॉ लागू होता है। जिसके अनुसार पहली ब्याहता पत्नी को तलाक दिये बगैर दूसरी महिला के साथ की हुई शादी प्रारम्भ से ही शून्य है तथा इस कारण से ही रेस्पोडेंट कम 2 को रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद में राजीनामा करने का कोई अधिकार नहीं था तथा रेस्पोडेंट कम 2 का उपरोक्त विवादित सम्पत्ति में कोई अधिकार इस कारण से नहीं था, क्योंकि वह मृतक नन्दकिशोर की ब्याहता पत्नी नहीं थी। इस कारण से निर्णय डिक्री जैर अपील काबिले निरस्तनीय है।

18– अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना ज्यूडिशल माईण्ड एप्लाई किये बगैर दावा डिक्री कर दिया, जबकि वादी रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा जो

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वाद प्रस्तुत किया था उसमें वाद कारण दिनांक 30.05.2018 को प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि अपने खातेदारी में दर्ज करवाने के लिए कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा साफ इंकार करने पर हुआ । इसके बाद रेस्पोडेंट कम 2 द्वारा दिनांक 21.06.2018 को वादी के सम्पूर्ण दावे को स्वीकार करते हुए जवाबदावा प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 22.06.2018 को वादी का दावा डिक्री कर दिया, जबकि कानूनन हक त्याग से सम्पत्ति का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है इस कारण से निर्णय व डिक्री जैर अपील काबिले निरस्तनीय है तथा रेस्पोडेंट कम 2 को मृतक नन्दकिशोर की सम्पत्ति अन्तरित ही नहीं हुई थी इस कारण से इसे हक त्याग का कोई अधिकार नहीं था, इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अन्दाज करते हुए निर्णय जैर अपील काबिले निरस्तनीय है।

19— अपीलांट रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा प्रस्तुत वाद में उचित एवं आवश्यक पक्षकार थी जिसे पक्षकार नहीं बनाकर रेस्पोडेंट द्वारा विधि एवं तथ्यों की भूल की है तथा मृतक नन्दकिशोर की सम्पत्ति में जो अधिकार अपीलांट के थे उन अधिकारों पर अतिक्रमण की गरज से दूरभि संधि करते हुए वाद प्रस्तुत किया था, इस कारण से निर्णय व डिक्री जैर अपील काबिले निरस्तनीय है।

20— अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जा कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2018 अपास्त की जावे । क्योंकि उक्त निर्णय व डिक्री रेस्पोडेंट कम 1 व 2 द्वारा मिलीभगत करके अपीलांट को उसके अधिकारों से वंचित करके प्राप्त की है, विकल्प में अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में अपना सम्पूर्ण पक्ष एवं अधिकार रखने का अवसर देते हुए प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित किया जावे।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

21– अपील संख्या 100/2022 के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 04.07.2022 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

22– अपील सं. 100/2022 प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन एवं अपील संख्या 148/2020 प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

23– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया किया कि अपीलांट मूर्तिबाई नन्दकिशोर की ब्याहता पत्नी है। अपीलांट कम 2 व 3 कमशः अनिता एवं पार्वती नन्दकिशोर की पुत्रियां हैं। इस कारण से वह आवश्यक पक्षकार थी तथा यह तथ्य प्रवीण (वादी रेस्पोडेंट कम 1) एवं मनभर बाई (प्रतिवादी रेस्पोडेंट कम 2) भली भांति जानते थे बावजूद इसके उन्हें वाद में पक्षकार नहीं बनाया जो कि कानूनन प्रावधानों के विपरीत है।

24– अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी प्रवीण ने वाद कारण प्रतिवादी मनभर के विरूद्ध दिनांक 30.05.2018 को होना बताया तथा यह कथन किया कि घोषणा नहीं करवाना चाहती है तथा भूमि को उसके खाते दर्ज करवाने से इंकार कर रही है तथा इसके विपरीत मनभर बाई दिनांक 21.06.2018 को अपने जवाबदावे में सम्पूर्ण वाद को स्वीकार करती है और दिनांक 22.06.2018 को दावा डिक्री कर दिया जाता है अर्थात् दिनांक 04.06.2018 को वाद पेश होता है और दिनांक 22.06.2018 को डिक्री हो जाता है अर्थात् मात्र 18 दिनों में वादी का

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वाद डिक्री हो गया, जबकि उक्त भूमि में अपीलांट का हित भी निहित था।

25— यह कि न्यायालय ने रेस्पोडेंट कम 2 मनभर बाई का हिस्सा हक तर्क करवा दिया, जबकि नन्दकिशोर की सम्पत्ति मनभर बाई को न्यस्थ ही नहीं हुई थी तथा जो हक तर्क (हक त्याग) करवाया गया वह रजिस्टर्ड नहीं था जबकि कानून में यह बाध्यता है कि हक त्याग सदैव रजिस्टर्ड होना चाहिए। उपरोक्त आधारों पर अपीलांट को जो कि मृतक नन्दकिशोर की ब्याहता पत्नी है उसका उपरोक्त विवादित आराजी पर अधिकार है तथा अपीलांट कम 2 व 3 मृतक नन्दकिशोर की पुत्रियां हैं इस कारण से उनका भी हक मृतक नन्दकिशोर की सम्पत्ति पर है। अपीलांट के सम्पूर्ण जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2018 को निरस्त करते हुए अपीलांट को जवाब, साक्ष्य, दस्तावेज पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रतिप्रेषित की जावे तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर. आर.टी. 2022 (1) पेज 76 की नजीर पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

26— हमने अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

27— अपील संख्या 100/2022 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई.आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकोंर किया जाता है।

28— अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील के साथ अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। जो न्यायहित में स्वीकार किया गया।

29— उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारों को नोटिस तामील कराकर, उभयपक्षकारों को सुनकर, साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करें गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत रूप से प्रकरण में निर्णय पारित करें । उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.09.2023 को उपस्थित होवें ।

30— निर्णय आज दिनांक 24.07.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/7/2023

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा